B-II
L-39
I. Polity

केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण का समायोजन

- राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है
- राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है अपितु बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा है।
- संघ सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करती है। (अनु० 275), अतः राज्य वित्तीय रूप में स्वायत्त नहीं हैं।

→ विधायी - रक्षा, संचार, विदेश
→ प्रशासनिक - संघ सरकार के पदाधिकारी
→ वित्तीय - आयकर, निगम कर, सेल्स

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- सामान्य परिस्थितियों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है जबकि आपातकाल में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। इसलिए संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है।

इसीलिए आलोचक यह कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में भारत में संघात्मक शासन है जो आपातकाल में एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है।

इसी आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक

Scanned by CamScanner

भी कहा जाता है।

संघीय व्यवस्था में राज्यसूची के विषयों में विधायी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं और राज्यों को यह शक्तियाँ सीधे संविधान से उपलब्ध हैं। राज्य इन शक्तियों के लिए संघ पर निर्भर नहीं हैं। उड़ीसा में पिछले 25 वर्षों से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल मे ममता बनर्जी भी तीसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई हैं। प्रत्येक राज्य को अपने मंत्रिमण्डल के द्वारा प्रशासन का पूर्ण अधिकार है।

इसलिए राज्यों में मुख्य सचिव, डी.जी.पी की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

सातवीं अनुसूची की व्याख्या और संशोधन :-

- सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची मे किसी प्रकार के संशोधन हेतु अनु० 368 के अन्तर्गत संसद को शक्तियाँ दी गई हैं जिसके लिए आधे राज्य विधान सभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, मापतौल और वन जैसे राज्यसूची के विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया जो राज्य की स्वायत्तता

पर एक अतिक्रमण माना जाता है इसलिए संघवाद की भावना के विरुद्ध था।

- लेकिन तीन सूचियों के विषय में व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायलय को दिया गया है जिसके लिए उच्चतम न्यायलय ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिसके अनुसार सातवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक सूची का व्यापक अर्थ स्वीकार किया जाएगा जिसे अनुषंगी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं।

- न्यायलय के अनुसार संघ अथवा राज्य के किसी भी विधि की व्याख्या करते हुए विधि में उल्लिखित विषयवस्तु को ध्यान में रखा जाएगा न कि विधि के शीर्षक को। इसे सारतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है।

- सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन के अनुसार संघ और राज्य के कार्य पहले से निर्धारित हैं इसलिए संघ और राज्यों को परोक्ष रूप में एक दूसरे के विषय पर अतिक्रमण करने से प्रतिबंधित किया जाता है जिसे आभासी विधायन कहा जाता है।

- उच्चतम न्यायलय ने सूचियों की व्याख्या करते समय संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है जिसके अनुसार समवर्ती सूची पर

Scanned by CamScanner

संघ एवं राज्यों के बीच टकराव की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी।

- लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि शक्ति का विशुद्ध विभाजन संभव नहीं है इसीलिए संघ एवं राज्यों के बीच निर्मित विधि में समन्वय एवं सामंजस्य की तलाश होनी चाहिए।

शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण में अंतर :-

- शक्ति विभाजन संघीय शासन की विशेषता है जबकि शक्ति पृथक्करण संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन का मूल मर्म है।
- शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य की शक्तियों के भौगोलिक विभाजन को प्रदर्शित करता है जबकि शक्ति पृथक्करण विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के अलगाव का एक माध्यम है।
- शक्ति पृथक्करण का मूल उद्देश्य शासन को सीमित और संवैधानिक बनाए रखना है जिससे राज्यों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो सके जबकि शक्ति विभाजन के द्वारा शासन में विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है जहाँ शासन में लोगों की ज्यादा भागीदारी हो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण किया जा सके।

Scanned by CamScanner

- शक्ति विभाजन का प्रयोग भौगोलिक रूप में विशाल और विविधता वादी समाज के लिए होता है। जबकि शक्ति पृथक्करण को लागू करने हेतु भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक विविधता आवश्यक नहीं है।

राज्यपाल

- संसदीय शासन में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है अतः राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करें जिस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन संवैधानिक अवस्था में मंत्रिपरिषद के अभाव में राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता।

- परन्तु राज्यों में मंत्रिपरिषद के अभाव मे राज्यपाल कार्य कर सकता है और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु० ३५६) लागू हो तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों के सलाह से कार्य करता है क्योंकि उस समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

- राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप में किसी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है जबकि राज्यपाल को संविधान से विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है (अनु०- 163 (1))

Scanned by CamScanner